प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 114/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

लोकेन्द्रगिरी गोस्वामी निवासी: 289, उपला रड़ा गुड़ली, तहसील–कुराबड़, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुराबड़ उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 10/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14.07.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/114/23/1261–62 दिनांक 15.09.2023 से लिखा गया अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू.अ.अ./2023/657 दिनांक 09.10.2023 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का आवेदन दिनांक 14.07.2023 इस कार्यालय में दिनांक 18.07.2023 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा तहसील कार्यालय के परिसर में वर्तमान में लगे हुए दो केबिन रखने की स्वीकृति से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी एवं स्वीकृति देने वाले का नाम व दो केबिन की स्वीकृति पत्र की प्रति चाही गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त वांछित सूचना जरिये पत्र क्रमांक: सू.अ.अ./2023/589 दिनांक 03.10.2023 से जरिये डाक द्वारा भिजवा दी गई है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में अपील निरस्त योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 589 दिनांक 03.10.2023 से प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

चूंकि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियत समयावधि उपरान्त उपलब्ध करवायी गई है अतः प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकार तहसीलदार कुराबड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निरस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुराबड़ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर